मध्यप्रदेश होमगार्डस नियम 2016

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. होमगार्ड पर अधीक्षण
4. होमगार्ड के प्रधान सेनानी एवं महानिदेशक
5. महानिदेशक की शक्तियां
6. स्वयंसेवी होमगार्डो का विभिन्न श्रेणियों में नामनिर्देशन
7. होमगार्ड स्वयंसेवियों का स्थानांतरण
8. होमगार्ड स्वयंसेवी के रुप में नामांकन
9. नामांकन के लिए शारीरिक तथा अन्य पात्रता की शर्ते
10. होमगार्डस स्वयंसेवियों के नामांकन के लिए चयन समिति
11. होमगार्ड में स्वयंसेवी के रुप में नामांकन के लिए चयन प्रकिया
12. चिकित्सीय परीक्षण
13. चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन
14. नामांकन का प्रमाणपत्र
15. प्रतिज्ञा
16. त्यागपत्र
17. स्वयंसेवी होमगार्ड का बुनियादी प्रशिक्षण
18. होमगार्ड स्वयंसेवी जिला रिजर्व
19. वर्दी तथा साज-सज्जा
20. शास्त्र तथा गोला बारूद
21. होमगार्ड को सहायता के लिए बुलाया जाना
22. होमगार्ड के कर्तव्य
23. अनुशासन
24. दंड
25. दण्डित करने की शक्तियां
26. अपील
27. सेवा की शर्तें
28. अन्य नौकरियों हेतु नियोजन के लिए स्वयंसेवी होमगार्ड द्वारा आवेदन
29. स्वयंसेवी होमगार्ड तथा अधिकारियों की अन्य विभागों में अस्थायी विशेष ड्यूटी
30. निरसन एवं व्यावृत्ति
31. प्रमाण पत्र तथा अन्य सामग्री का समर्पण
    - परिशिष्ट-क
    - परिशिष्ट- ख
    - परिशिष्ट-ग
    - परिशिष्ट-ड
    - परिशिष्ट-च
    - परिशिष्ट-छ

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2016

मध्यप्रदेश होमगार्डस नियम 2016

कमांक एफ-2 (अ)88/2012/बी-4.-दो मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम. 1947 (सन् 1947 का पन्द्रहवा) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. राज्य सरकार, एतददवारा, होमगार्ड स्वयंसेवियों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश होमगार्डस नियम 2016 है ।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश होमगार्डस अधिनियम 1947 सन् 1947 का पन्द्रहवां (पूर्व मध्य प्रांत एवं बरार अधिनियम, 1947

(ख))"प्रधान सेनानी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रधान सेनानी और महानिदेशक होमगार्डस;

(ग) "सेनानी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया सेनानी होमगार्ड;

(घ) "संभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश का राजस्व संभाग,

(ङ) 'संभागीय सेनानी" से अभिप्रेत है। किसी राजस्व संभाग या उसके किसी भाग के लिए होमगार्ड सेनानी या किसी राजस्व संभाग या उसके किसी भाग के लिए होमगार्ड का मुख्य अधिकारी;

(च) "जिला" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश का राजस्व जिला;

(छ) "जिला सेनानी" से अभिप्रेत है किसी राजस्व जिले या उसके किसी भाग के लिए होमगार्ड सेनानी या किसी राजस्व जिले या उसके भाग का होमगार्ड का मुख्य अधिकारी;

(ज) "जिला दण्डाधिकारी' ' से अभिप्रेत है किसी जिले के कार्यपालक प्रशासन से प्रभारित तथा दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाला ऐसे कार्यपालक प्रशासन से प्रभारित मुख्य अधिकारी चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो;

(झ) "पुलिस" का वही अर्थ होगा, जो पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में उस शब्द के लिए समनुदेशित किया गया है;

(ञ) "पुलिस अधीक्षक" का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) में उस शब्द के लिए समनुदेशित किया गया है;

(ट) "हड़ताल" से अभिप्रेत है, प्रशिक्षण अथवा होमगार्ड के रूप में सम्पूर्ण कर्तव्य पर रहते हुए, संयुक्त रूप से या सम्मिलित रीति में या सामूहिक समझ के अधीन पूर्णत: या भागत: कर्तव्यों का निर्वहन न किया जाना;

(ठ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ।

3. होमगार्ड पर अधीक्षण-

सम्पूर्ण राज्य में होमगार्ड का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा ।

4. होमगार्ड के प्रधान सेनानी एवं महानिदेशक--

पूरे राज्य में होमगार्ड का प्रशासन प्रधान सेनानी और महानिदेशक भांति के किसी अधिकारी तथा ऐसे महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त प्रधान सेनानी और अन्य अधिकारियों में निहित होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

5. महानिदेशक की शक्तियां.-

(1) होमगार्ड अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन महानिदेशक को प्रशिक्षण, संचालन, परिचालन गतिविधियों, संगठन, अनुशासन एवं दण्ड. प्रशासन, वर्दी एवं साज सज्जा का माप दण्ड, कय, शस्त्र, गोला बारूद, उपकरणों एवं भण्डार के रखरखाव एवं विनियमन तथा होमगार्ड के समस्त कर्मियों एवं अधिकारियों पर समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा ।

(2) महानिदेशक को राज्य शासन के अनुमोदन से स्थायी आदेश जारी करने का अधिकार होगा ।

6. **स्वयंसेवी होमगार्डों का विभिन्न श्रेणियों में नामनिर्देशन-**

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, स्वयंसेवी अन्य श्रेणियों में निम्नलिखित रीति में नामनिर्देशित किया जा सकेगा :-

(क) स्वयंसेवी कम्पनी कमांडर-महानिरीक्षक द्वारा;

(ख) स्वयंसेवी प्लाटून कमांडर, स्वयंसेवी सहायक प्लाटून कमांडर-उप महानिरीक्षक एवं अतिरिक्त प्रधान सेनानी द्वारा;

(ग) स्वयंसेवी नायक, स्वयंसेवी हवालदार-संभागीय सेनानी द्वारा;

(घ) स्वयंसेवी सैनिक, स्वयंसेवी लांस नायक-जिला सेनानी द्वारा;

मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में प्रति कम्पनी होमगार्ड स्वयंसेवियों की कुल स्वीकृत संख्या 165 होगी | प्रति कम्पनी में स्वयंसेवियों की संख्या निम्नानुसार है :-

प्रति कंपनी स्वयंसेवियों की निर्धारित संख्या के ब्यौरे

पदनाम	संख्या
नामनिर्देशित स्वयंसेवी कम्पनी कमांडर	01
नामनिर्देशित स्वयंसेवी प्लाटून कमांडर	05
नामनिर्देशित स्वयंसेवी सहायक प्लाटून कमांडर	05
नामनिर्देशित स्वयंसेवी कम्पनी हवालदार मेजर	01
नामनिर्देशित स्वयंसेवी कंपनी क्वार्टर मास्टर	01
नामनिर्देशित स्वयंसेवी सेक्शन हवालदार	15
नामनिर्देशित स्वयंसेवी सेक्शन नायक/सेक्शन लांस नायक	15
होमगार्ड स्वयंसेवी	122
कुल	**165**

7. **होमगार्ड स्वयंसेवियों का स्थानांतरण**.-

(1) किसी होमगार्ड स्वयंसेवी को उसके स्वयं के जिला रिजर्व से भिन्न जिला रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा |

(2) यदि कोई होमगार्ड स्वयंसेवी किसी अन्य जिले में नियुक्त होने की इच्छा रखता है, तो उसे अपने जिला रिजर्व से भार मुक्त होना होगा | तब वह अन्य जिले के होमगार्ड के जिला रिजर्व में नए सिरे से नामांकन के लिए आवेदन कर सकेगा:

परन्तु वह होमगार्ड स्वयंसेवी के लिए निर्धारित पात्रता शर्तो कों अन्यथा पूर्ण करता हो ।

8. होमगार्ड स्वयंसेवी के रुप में नामांकन- कोई व्यक्ति होमगार्ड स्वयंसेवी के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा:

(क) जब तक कि उसने नामांकन के वर्ष की पहली अगस्त को 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किन्तु 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो:

परंतु यदि अभ्यर्थी. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है, तो वह उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट का हकदार होगा:

परंतु यह और कि कोई अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, उसने 38 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो ।

(ख) जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा उसे उस जिले का रहवासी होना चाहिए जिसमें वह नामांकित होना चाहता है और उसे मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए । उसे इस आशय का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ग) जब तक कि उसने मध्यप्रदेश बोर्ड से या मध्यप्रदेश में स्थित ऐसे विद्यालय से जो केन्द्रीय बोर्ड से संबह हो दसवीं स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो:

परंतु अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी यदि वह आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है तो वह पात्र होगा ।

(घ) यदि वह मध्यप्रदेश सरकार के विद्यमान निर्देशों के अनुसार अच्छे नैतिक आचरण वाला न हो:
परंतु राज्य सरकार, आतरिक सुरक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य के लिए पात्रता संबंधी शर्तो को शिथिल कर सकेगी तथा होमगार्ड ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी संख्या में जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तदनुसार नामांकित किए जा सकेंगे । इस प्रकार नियुक्त होमगार्ड की पहचान को गुप्त रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा ।

9. नामांकन के लिए शारीरिक तथा अन्य पात्रता की शर्ते-

(क) आवेदक की ऊंचाई 168 सेन्टीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए । अनुसूचित जनजाति वर्गो के लिए न्यूनतम अपेक्षित ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर होगी । महिला अभ्यर्थियों की दशा में ऊंचाई 155 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहिए ।
(ख) पुरुष आवेदक की दशा में, सीना 05 सेन्टीमीटर फुलाव के साथ, 81 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहिए । अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी आवेदक को सीना कम से कम 5 सेन्टीमीटर फुलाव के साथ 78 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहिए ।
(ग) पुरुष अभ्यर्थियों के पैर न तो समतल (फ्लैट फुटेड) होना चाहिए और न ही घुटने मिले हुए (नोकनी) होना चाहिए । महिला अभ्यर्थियों के पैर समतल (फ्लैट फुटेड) नहीं होने चाहिए ।
(घ) आवेदक कदाचरण के आधार पर पदच्युत लोकसेवक नहीं होना चाहिए ।
(ङ) आवेदक किसी जिला रिजर्व से कदाचरण के आधार पर उन्मोचित किया गया नहीं होना चाहिए ।

10. होमगार्डस स्वयंसेवियों के नामांकन के लिए चयन समिति-

होमगार्डस के नामांकन के लिए चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

1.	जिला दण्डाधिकारी या उसका प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से निम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी न हो)	अध्यक्ष
2.	संभागीय कमांडेन्ट अथवा उसका समकक्ष या महानिदेशक. होमगार्ड द्वारा नामनिर्देशित कोई वरिष्ठ अधिकारी ।	सदस्य
3.	संबंधित जिले या किसी अन्य जिले का जिला सेनानी. होमगार्ड या महानिदेशक. होमगार्ड द्वारा नामनिर्देशित उसका समकक्ष अधिकारी;	सदस्य सचिव
4.	उस जिले या किसी अन्य जिले या क्षेत्र का होमगार्ड का कम्पनी कमांडर या प्लाटून कमांडर	सदस्य

टिप्पणी :- चयन समिति के सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होगा ।

11. होमगार्ड में स्वयंसेवी के रुप में नामांकन के लिए चयन प्रकिया-

(1) प्रस्तावित नामांकन कार्यक्रम का राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करके पूरे जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ।
(2) जिला सेनानी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदनों की पात्रता शर्त्तो के अनुसार चयन समिति द्वारा छानबीन की जाएगी । पात्रता शर्ते पूरी न करने वाले आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य कर दिए

जाएंगे तथा उसकी सूचना जिला सेनानी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी ।

(3) आवेदन के निरस्त होने के विरुद्ध अभ्यावेदन या अपील ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी जो महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट, उप महानिरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो ।

(4) पात्र पाए गए आवेदकों को इस विषय पर स्थाई आदेश के अनुसार चयन समिति द्वारा संचालित की जाने वाली पूर्व नामांकन परीक्षा से होकर गुजरना होगा ।

(5) चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर परिणाम, स्थाई आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से घोषित किया जाएगा ।

12. चिकित्सीय परीक्षण-

होमगार्ड सेनानी, पूर्व नामांकन परीक्षा में सफल आवेदकों का जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराएगा । चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त घोषित आवेदक नामांकन के लिए अपात्र होगें ।

13. चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन.-

जिला सेनानी सफल अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत फार्म को आवश्यक चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को भेजेगा । पुलिस अधीक्षक से प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट वाले आवेदक नामांकन के लिए अपात्र होंगे ।

14. नामांकन का प्रमाणपत्र.-

(1) स्वयंसेवी होमगार्ड को, नामांकन के समय इन नियमों से संलग्न प्ररुप (परिशिष्ट-क) में एक नामांकन प्रमाणपत्र नियुक्ति अधिकारी की मुद्रा तथा हस्ताक्षर के साथ दिया जाएगा ।

(2) यह प्रमाणपत्र स्वयंसेवी होमगार्ड द्वारा उसके कर्तव्य या प्रशिक्षण के समय स्थायी रुप से रखा जाएगा ।

(3) उन्मोचन के समय ऐसा प्रमाणपत्र स्वयंसेवी होमगार्ड द्वारा जिला सेनानी को अभ्यर्पित किया जाएगा ।

(4) नामांकन प्रमाणपत्र के खो जाने पर या क्षतिग्रस्त होने पर, इस विषय में स्थाई आदेश के अध्यधीन रहते हुए उसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी की जा सकेगी ।

15. प्रतिज्ञा :-

चयन समिति द्वारा चयनित कोई आवेदक, इन नियमों से संलग्न प्रतिज्ञा के प्ररूप (परिशिष्ट -ख) में अवधारित किए गए अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेगा |

16. **त्यागपत्र** :-

(1) कोई स्वयंसेवी होमगार्ड जिला रिजर्व में उसकी अवधि के पूर्ण होने के पूर्व इन नियमों से संलग्न प्ररूप (परिशिष्ट -ग) में जिला सेनानी को संबोधित लिखित में आवेदन द्वारा तीस दिन से अधिक की पूर्ण सूचना के साथ उसके स्वयंसेवी होमगार्ड या स्वयंसेवी अधिकारी की हैसियत से त्यागपत्र दे सकेगा :

परन्तु ऐसा त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यथास्थिति यह नियुक्ति प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता और इस आशय की सूचना आवेदक को नहीं दे दी जाती |

(2) जिला सेनानी त्यागपत्र को अपनी टीप के साथ नियुक्त प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ अधिकारी को अग्रेषित करेगा |

(3) जिला सेनानी की पूर्व स्वीकृति के बिना कर्तव्य पर उपस्थित न होने को यह इस आधार पर कर्तव्य पर उपस्थित होने में असमर्थ की सूचना देने को कि त्यागपत्र दे दिया गया है, कर्तव्य से अनुपस्थिति माना जाएगा |

17. स्वयंसेवी होमगार्ड का बुनियादी प्रशिक्षण:-

(1) प्रत्येक स्वयंसेवी होमगार्ड उसके नामांकन के शीघ्र पश्चात् 90 कार्य दिवस की किसी अवधि के लिए व्यक्तियों तथा संपत्तियों की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम, लोक व्यवस्था संधारण अग्निशमन और सुरक्षा से सम्बंधित विभिन्न विषयों में विशिष्टता निम्नलिखित विषयों में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करेगा :-

(एक) शारीरिक प्रशिक्षण और परेड;
(दो) निरायुध संघर्ष;
(तीन) शास्त्र प्रशिक्षण और निशानेबानी का अभ्यास;
(चार) सार्वजानिक व्यवस्था तथा भीड़ नियंत्रण;
(पांच) नक्शों संबंधी पढ़ाई,
(छह) कानून और दण्ड प्रकिया सहित आपराधिक न्याय प्रणाली;
(सात) मानव अधिकार;
(आठ) आपदा प्रबंधन (प्राकृतिक एवं मानव निर्मित), नागरिक सुरक्षा तथा अग्निशमन;
(नौ) होमगार्ड के कर्तव्य तथा शक्तियां;
(दस) सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण तथा उनके प्रयोग;
(ग्यारह) संदेश लेखन;
(बारह) गार्ड के कर्तव्य;
(तेरह) यातायात नियंत्रण;
(चौदह) फील्ड क्राफ्ट तथा रणनीति
(पंद्रह) प्राथमिक उपचार;
(सोलह) बचाव एवं बाढ़ राहत; तथा
(सत्रह) कोई अन्य विषय जो कि समय-समय पर विहित किए जाएं ।

(ख) रिफ्रेशर प्रशिक्षण :-

प्रत्येक स्वयंसेवी होमगार्ड को महानिदेशक द्वारा जारी इस विषय से संबंधित स्थायी आदेश के अनुरूप 30 कार्य दिवस का रिफेशर कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

(ग) एडवांस प्रशिक्षण (अग्रिम प्रशिक्षण):-

नामांकित सहायक प्लाटून कमाण्डर और उससे ऊपर की रैंक के स्वयंसेवी होमगार्ड हेतु 30 कार्य दिवस एडवांस कोर्स (अग्रिम-प्रशिक्षण) चलाया जावेगा, जिसमें व्याख्यान और मैदानी कार्यो से

संबंधित निम्न विषय शामिल होगे-

(1) संगठन और मानव संसाधन प्रबंधन ।
(2) नागरकि सुरक्षा के उपाय ।
(3) आपातकालीन राहत कार्य ।
(4) नक्शों एवं स्वचलित हथियार का ज्ञान ।
(5) युद्व कौशल एवं युक्तिां ।
(6) सूचना प्रौद्योगिकी के क्य एवं उनके उपयोग की जानकारी ।
(7) संदेश लेखन एवं
(8) महानिदेशक द्वारा निर्धारित अन्य विषय

(घ) नेतृत्व प्रशिक्षण

सहायक प्लाटून कमांडर और उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी, स्वंय को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यकम में भाग लेंगे ।

टिप्पणी :- बुनियादी, रिफ्रेशर,उन्नत तथा नेतृत्व प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तथा अवधि स्थाई आदेश के अनुसार

18. होमगार्ड स्वयंसेवी जिला रिजर्व--

(1) प्रत्येक जिले में होमगार्ड स्वयंसेवी जिला रिजर्व बल के रुप में होंगे । जिला रिजर्व इतनी कम्पनियां अथवा स्वंयसेवी होमगार्ड सैनिकों और स्वयंसेवी अधिकारियों तथा स्थायी अधिकारियों एवं कर्मचारिवृन्द से मिलकर बनेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए ।

राज्य के होमगार्ड रिजर्व में जिलावार स्वीकृत बल की वर्तमान संरचना इन नियमों से संलग्न है । परिशिष्ट-घ)

(2) किसी कम्पनी कमांडर के नेतृत्व में जिला रिजर्व की प्रत्येक कम्पनी 165 स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिकों से मिलकर बनेगी जो कि तीन प्लाटूनों में विभक्त होगी, प्रत्येक का नेतृत्व एक प्लाटून कमांडर द्वारा किया जाएगा । प्रत्येक प्लाटून तीन अथवा अधिक अनुभागों से मिलकर बनेगी । प्रत्येक का नेतृत्व सहायक प्लादून कमांडर की श्रेणी के अनुभाग कमांडर द्वारा किया जाएगा ।

(3) जिला होमगार्ड रिजर्व के सभी सदस्यों के प्रशासन. प्रशिक्षण, अनुशासन तथा कल्याण के प्रयोजन के लिए जिला सेनानी की सहायता ऐसी संस्था में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाएगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

19. वर्दी तथा साज-सज्जा-

(1) होमगार्ड के समस्त अधिकारियों तथा स्वयंसेवियों को अपेने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान उपयोग किए जाने के लिए वर्दी तथा साज सज्जा राज्य के व्यय पर प्रदाय की जाएगी । वे उनकी श्रेणी के अनुसार उपबंधित बैज भी पहनेंगे । वर्तमान में प्रदाय किए जा रहे वर्दी तथा साज सज्जा की विशिष्ट वस्तुओं के ब्यौरे इन नियमों से संलग्न हैं । (परिशिष्ट-ड)

(2) स्वयंसेवी होमगार्ड के सदस्य उनके कंधे की पट्टी पर म.प्र.न.से. के अक्षर धारण करेंगे तथा अधिकारी अतिरिक्त रुप से उस श्रेणी के बैज धारण करेंगे जो कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे । (परिशिष्ट-च)

20. शास्त्र तथा गोला बारूद.-

होमगार्ड के अधिकारी तथा स्वयंसेवी प्रशिक्षण तथा कर्तव्य के संचालन के दौरान ऐसी रीति में छोटे शस्त्रों को, जैसे राइफल और सर्विस रिवोल्वर तथा गोला बारूद उपयोग करने तथा रखने के हकदार होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

21. होमगार्ड को सहायता के लिए बुलाया जाना-

(1) जिला दण्डाधिकारी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जिला रिजर्व से होमगार्ड स्वयंसेवकों को बुलाने के लिए अधिकृत होगा :-

प्राकृतिक आपदाओं या असामाजिक तत्वों से जानमाल की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने, अशांत स्थितियों के दमन, यातायात एवं जनसभाओं के नियंत्रण तथा विनियमन, अपराधों की रोकथाम, पुलिस तथा सेना प्राधिकारियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय हित में सुरक्षा अथवा कल्याण के सामान्य उपाय;

(2) इस प्रकार आधिकारिक रुप से सहायता के लिए बुलाए गए स्वयंसेवी होमगार्ड की कुल संख्या जिला रिजर्व की अधिकृत संख्या के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही 100 प्रतिशत तक बुलाया जा सकेगा ।

(3) महानिदेशक या होमगार्ड का ऐसा अधिकारी जो कि उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए राज्य के किसी क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण. प्रशासनिक. गोला बारुदों की सुरक्षा. नागरिक सुरक्षा, प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित आपदाओं तथा लोक कल्याण एवं हित के सामान्य उपायों से संबंधित किसी कर्तव्य के निष्पादन के लिए होमगार्ड को बुलाने हेतु आदेश दे सकेगा ।

22. होमगार्ड के कर्तव्य.-

नियम 21 के अधीन आधिकारिक रुप से सहायता के लिए बुलाए गए स्वयंसेवी होमगार्ड नीचे उल्लिखित किसी अथवा सभी कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होंगे.-

(1) पुलिस को यातायात प्रबंधन में सहायता करना;
(2) गश्त तथा रात्रि गश्त करना;
(3) भीड़ नियंत्रण में पुलिस की सहायता करना;
(4) पुलिस को सूचना तथा आसूचना में सहायता करना;
(5) समाज के कमजोर वर्गो की सुरक्षा तथा साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए प्रशासन को सहायता देना;
(6) अफवाहों, भगदड़ संत्रास को कम करना तथा संगठित बचाव कार्य तथा किसी प्रकार के आपात जैसे अग्नि. हवाई हमला, बाढ़, महामारी, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं; और
(7) राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित कोई भी अन्य कर्तव्य तथा दायित्वों का निर्वहन करना ।

23. अनुशासन.-

(क) होमगार्ड स्वयंसेवक ऐसे सभी कर्तव्यों तथा कार्यो का निष्ठा के साथ निर्वन करेंगे जैसा कि उन्हें निर्दिष्ट किया जाए तथा समस्त विधिसम्मत आदेशों का पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ पालन करेगे ।

(ख) होमगार्ड के समस्त अधिकारी तथा कार्मिक अपने को सदैव अनुशासित, समान रुप से संगठन की भांति आचरण करेंगे ।

(ग) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा एवंऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो ।

(घ) होमगार्ड स्वयंसेवक किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा न अन्यथा हस्तक्षेप करेगा न अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा ।

(ङ) होमगार्ड स्वयंसेवक किसी राजनैतिक दल या किसी संगठन का जो राजनीति में भाग लेता हो न तो सदस्य होगा न किसी राजनैतिक आदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा ।

(च) यदि यह कानून के उल्लंघन का ऐसा कोई कृत्य करता है जो किसी संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तो वह 48 घंटे के अन्दर इसकी सूचना अपने जिला सेनानी को देगा । सूचना न दिए जाने की स्थिति में वह होमगार्ड जिला रिजर्व से सेवामुक्त किए जाने का दायी होगा ।

(छ) कर्तव्य से बिना किसी समुचित कारण के अनुपस्थित नहीं रहेगा ।

(ज) कर्तव्य अथवा प्रशिक्षण के समय पररुप धारण कर शामिल नहीं होगा ।

(झ) अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी मादक पेय अथवा औषधि का सेवन नहीं करेगा न उसके प्रभाव में रहेगा । नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा । किसी क्षेत्र में जहां वह हो कुछ समय के लिए भी मादक पेय एवं औषधियों से संबंधित प्रवृत्त

विधि का दृढतापूर्वक पालन करेगा ।

(ञ) अपने प्रचार के अधीन सम्पत्ति गोलाबारुद किट क्लोपिंग एवं स्टोर के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा ।

(ट) उसे प्रदत्त की गई सम्पत्ति. हथियारों तथा वर्दी का दुरुपयोग नहीं करेगा । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सामान्य तथा विशेष विधिसम्मत् आदेशों के प्रति निष्ठा रखेगा तथा जानबूझकर अवज्ञा नहीं करेगा ।

(ठ) उसकी अभिरक्षा तथा सुरक्षा में दी गई संपत्ति का गबन नहीं करेगा तथा इसका दुष्प्रेरण भी नहीं करेगा ।

24. दंड.-

कदाचरण तथा अनुशासनहीनता के कृत्यों के लिए होमगार्ड स्वयंसेवकों पर निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किए जा सकेंगे

(क) (1) धिगदंड;
(2) परिनिंदा;
(3) 03 दिन से अनधिक अतिरिक्त कवायद अथवा श्रमजनित थकावट का कार्य कराना;
(4) निलंबन;
(5) जिला रिजर्व से निर्धारित समय पूर्व सेवामुक्त करना ।

(ख) तीन दिवस के मानदेय से अनधिक अर्थदण्ड
(ग) रैंक में अवनति
(घ) 28 दिन से अनधिक अतिरिक्त कवायद, गार्ड ड्यूटी. श्रम जनित थकावट के कार्य कराना ।

25. दण्डित करने की शक्तियां-

(क) **जिला सेनानी.-** जिला सेनानी लांस नायक व स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिक की पद श्रेणी तक के लिए अनुशासनहीनता के कृत्य के लिए अर्दली रूम की प्रक्रिया को अपनाएगा तथा सुने जाने का अवसर देने के पश्चात नियम 24 (क) में उल्लिखित कोई शास्सि अधिरोपित कर सकेगा ।
(ख) **संभागीय सेनानी.-** संभागीय सेनानी / स्वयंसेवी से स्वयंसेवी हवलदार या नायक या उससे कम पद श्रेणी के स्वयंसेवी के संबंध में, नियम 24 (क) तथा 24 (ख) में यथा उल्लिखित अनुशासनहीनता के कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा ।
(ग) **उप महानिरीक्षक/अतिरिक्त प्रधान सेनानी.-** उप महानिरीक्षक/अतिरिक्त प्रधान सेनानी प्लादून कमाण्डर या उससे कम पद श्रेणी के स्वयंसेवी तक को नियम 24 (क), 24 (ख) तथा 24 (ग) में यथा सूचीबद्ध अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए कोई शास्ति अधिरोपित करने हेतु सक्षम होंगे ।

(घ) **महानिरीक्षक-** महानिरीक्षक कम्पनी कमाण्डर या उससे कम पद श्रेणी तक के स्वयंसेवी को नियम 24 (क), 24 (ख) तथा 24 (ग) तथा 24 (घ) में यथासूचीबद्ध अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने हेतु सक्षम होगा: परंतु यह कि

(1) अतिरिक्त श्रमजनित (फटीग) अतिरिक्त परेड अथवा दण्ड स्वरुप कार्य से संबंधित दण्ड के निष्पादन की दशा में, अपचारी की शारीरिक क्षमता का ध्यान रखा जाएगा ।
(2) कोई शास्ति अधिरोपित करने की दशा में विद्यमान निदेशों में अभिकथित प्रकिया का पालन किया जाएगा ।
(3) दण्डादेश की प्रति ठीक वरिष्ठ अधिकारी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को भी पृष्ठांकित की जाएगी ।

26. अपील.-

(1) सजा के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध, ऐसे आदेश पारित करने वाले अधिकारी से ठीक वरिष्ठ अधिकारी को अपील की जा सकेगी ।
(2) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध केवल एक अपील ग्राहय होगी । तथापि ऐसे आदेशों के विरूद्व महानिदेशक को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी ।
(3) महानिदेशक अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का स्वप्रेरणा से भी पुनरीक्षण कर सकेगा ।
(4) महानिदेशक द्वारा उसे ऐसा करने हेतु विशेष कप से अधिकृत किए जाने पर अतिरिक्त महानिदेशक भी' पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ।
(5) दण्डादेश की सूचना प्रदान किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी
(6) अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश संसूचित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी ।
(7) परिसीमा अवधि 30 दिन के पश्चात प्रस्तुत कोई अपील या पुनरीक्षण याचिका तब तक ग्राइय नहीं की जाएगी, जब तक कि यह बताने का युक्तियुक्त एवं पर्याप्त आधार न हो कि विहित समय अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत कर पाना याचिकाकर्ता की सामान्य क्षमता से परे था ।

27. सेवा की शर्तें.-

(1) नामांकन की अवधि:-

(क) प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर. स्वयंसेवी होमगार्ड छह माह की कालावधि के लिए होमगार्ड के रुप में सेवा करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा 12 माह से अनधिक की कुल कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा यदि राज्य सरकार ऐसे विस्तार आवश्यक समझे तथा उसके पश्चात तीन वर्ष की कालावधि के लिए रिजर्व में सेवा करेगा, और रिजर्व के दौरान किसी भी समय कर्तव्य पर बुलाए जाने के दायित्वाधीन होगा ।
(ख) एक स्वयंसेवी होमगार्ड अपने नामांकन की प्रारंभिक अवधि. के पूर्ण होने पर अपने नामांकन के विस्तार के पूर्व संतोषजनक आचरण, चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण. शारीरिक क्षमता तथा

इच्छा के अध्यधीन रहते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा संभागीय सेनानी से अनिम्न श्रेणी के नामनिर्देशित अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला समीक्षा समिति की अनुशंसा पर अपने नामांकन के विस्तार का पात्र होगा । सेवा विस्तार 41 वर्ष की आयु तक अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ग) स्वयंसेवी होमगार्ड वर्ष में 10 माह आहूत कर्तव्य (काल आउट डियूटी) पर रहेगा । जिला रिजर्व पर नामांकित प्रत्येक स्वयंसेवी होमगार्ड को आहूत कर्तव्य (काल आउट ड्यूटी) पर बुलाये जाने का समान अवसर सुनिश्चित किया जाएगा । इस प्रयोजन हेतु युक्तियुक्त रोस्टर तैयार किया जाएगा तथा प्रकाशित किया जाएगा और मांगे जाने पर स्वयंसेवियों को इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) स्वयंसेवी होमगार्ड का सेवामुक्त किया जाना:-

स्वयंसेवी होमगार्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्यमुक्त किए जाने के दायित्वाधीन होगा-

(क) जिला होमगार्ड रिजर्व में, नियमित रहने की, उसकी अनिच्छा के कारण;

(ख) बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण होने पर एक अतिरिक्त अवसर देने के पश्चात भी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने पर;

(ग) अनुपयुक्त या शारीरिक रुप से अयोग्य पाए जाने पर;

(घ) 41 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर;

(ङ) सेवामुक्त करने की शास्ति अधिरोपित होने पर;

(च) आपराधिक प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर अथवा 48 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध रहने पर;

सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त परिस्थितियों में परिशिष्ट-छ में दिए गए प्ररुप में सेवामुक्त करने का आदेश जारी करेगा ।

(3) तैनाती:-

राज्य सरकार द्वारा जारी किसी विशेष आदेश द्वारा नियम 21 के अधीन कर्तव्य के लिए बुलाए गए स्वयंसेवी होमगार्ड मध्यप्रदेश में किसी भी स्थान पर, अथवा देश में या बाहर कहीं भी और विदेश में भी तैनात किए जाने के दायित्वाधीन होगा । विदेश में तैनाती सामान्यतया संबंधित स्वयंसेवी होमगार्ड की सहमति से की जाएगी ।

(4) भत्ते:-

आहूत कर्तव्य (काल आउट ड्यूटी) अथवा प्रशिक्षण पर रहते हुए होमगार्ड शासन द्वारा, समय-समय पर, यथानियत मानदेय तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेगा ।

(5) नामांकन अविध में अन्य नियोजन पर प्रतिबंध:-

(क) स्वयंसेवी होमगार्ड जब आहूत कर्तव्य (काल आऊट ड्यूटी) या प्रशिक्षण पर रहते हुए स्वयं को

किसी अन्य नियोजन में नहीं लगाएगा ।

(ख) किसी स्वयंसेवी होमगार्ड को, जब वह कर्तव्य अथवा प्रशिक्षण पर न हो, जिला सेनानी को सूचना के अधीन स्वयं को किसी कार्य या उप-व्यवसाय में लगाने की स्वतंत्रता होगी:

परन्तु

(एक) कोई भी ऐसा रोजगार या उप-व्यवसाय अंशकालीन अथवा पूर्णकालीन स्वीकार नहीं करेगा जिसको करने से विभाग के हितों का टकराव होता हो ।

(दो) वह स्वयं ऐसे किसी भी रोजगार अथवा उप-व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा जो जिला होमगार्ड रिजर्व के सदस्य के रुप में उसकी प्रतिष्ठा के अनुरुप न हो ।

28. अन्य नौकरियों हेतु नियोजन के लिए स्वयंसेवी होमगार्ड द्वारा आवेदन-

अपने जिला सेनानी को सूचित करने के अधीन रहते हुए, स्वयंसेवी होमगार्ड किसी भी अन्य विभाग अथवा चयन निकाय में किसी पद के लिए अपने चयन हेतु आवेदन कर सकेगा । चयनित होने की स्थिति में, वह नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि सहित अपने जिला सेनानी को सूचना देगा । वह नियम--16 के अनुसार. 30 दिवस की सूचना सहित अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा तथापि, स्वयंसेवी होमगार्ड की प्रार्थना पर युक्तियुक्त आधार पर, जिला सेनानी उक्त 30 दिवस की सूचना अवधि को शिथिल कर सकेगा ।

29. स्वयंसेवी होमगार्ड तथा अधिकारियों की अन्य विभागों में अस्थायी विशेष ड्यूटी--

(क) स्वयंसेवी होमगार्ड तथा स्वयंसेवी अधिकारी राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में उनकी मांग के आधार पर तैनात किए जा सकेंगे ।

(ख) होमगार्ड की सेवा प्राप्त करने वाला विभाग, उन होमगार्ड को आस्थगत संदाय या हकों की प्रतिपूर्ति करने की दृष्टि से होमगार्ड को देय सभी भत्तों की 150 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा ।

(ग) दूसरे विभाग में तैनाती की अवधि के दौरान स्वयंसेवी या अधिकारी घायल होता है या मृत्यु होती है तो वह सेवा प्राप्त करने वाला विभाग विस्तृत आदेशों के अनुसार मृत्युसह क्षति अभिलाभों के संबंध में भुगतान करने का दायी होगा ।

(घ) होमगार्ड की तैनाती के बदले में. अन्य विभागों से प्राप्त राशि में से 10 प्रतिशत राशि होमगार्ड के केन्द्रीय कल्याण कोष में जमा की जाएगी ।

(ङ) पात्रता मापदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए. स्वयंसेवी होमगार्ड को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में अस्थाई विशेष कर्तव्य पर तैनात किया जा सकेगा ।

(च) चयनित होने की दशा में अतिरिक्त आवेदक अधिकारी साध्यता के अनुसार महानिदेशक राज्य सरकार को प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी टीप सहित आवेदन की अनुशंसा कर सकेगा ।

(छ) अस्थाई विशेष ड्यूटी की अवधि तथा निर्बंधन, इस विषय में राज्य सरकार के विस्तृत अनुदेशों द्वारा विनियमित किए जाएंगे ।

30. **प्रमाण पत्र तथा अन्य सामग्री का समर्पण-**

(क) नामांकन प्रमाण पत्र निष्प्रभावी हो जाएगा जब वह व्यक्ति जिसका नाम उसमें अंकित है, स्वयंसेवी होमगार्ड न रहे । होमगार्ड जिला रिजर्व का सदस्य न रहने पर होमगार्ड ऐसी समाप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर जिला सैनानी को अपने नामांकन का प्रमाण पत्र समर्पित करेगा ।

(ख) सेवामुक्ति से पूर्व स्वयंसेवी होमगार्ड वर्दी उपकरण, हथियार तथा गोला बारूद, साजसज्जा की समस्त सामग्री तथा उसके कब्जे में होमगार्ड की अन्य सम्पन्ति. यदि कोई हो. अच्छी हालत में वापस सौंपेगा ।

(ग) इन नियमों के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना. उसको देय धन से वसूला जाएगा, किन्तु यदि संभव न हो तो. भू-राजस्व के बकाया के रुप में वसूलनीय होगा ।

31. निरसन एवं व्यावृत्ति-

(1) मध्यप्रांत एवं बरार होमगार्ड नियम. 1947 (मध्यप्रदेश एडेपटेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1956 द्वारा अंगीकृत) एतदद्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परंतु ऐसे निरसन से,-

(क) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व की गई किसी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इन नियमों के अधीन अर्जित. प्रोद्भूत या उपगत हुए हों ।

(3) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई या जारी किए गए आदेश आदि के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई या जारी किया गया आदेश है ।

परिशिष्ट-क

<u>नामांकन प्रमाण पत्र</u>

(देखिये नियम 14 (क))

नाम ....
पिता पति का नाम ....
श्रेणी..
निवास स्थान का पता ....

को मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत होमगार्ड का अधिकारी / सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है । विधि अनुसार कर्तव्य पर होने के दौरान, उसे पुलिस बल का सदस्य माना जाएगा और उसे वही शक्तियां, संरक्षण तथा विशेषाधिकार होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियुक्त किए गए किसी पुलिस अधिकारी के दायित्वों के अधीन होगा ।

नामांकन की तारीख ....
वैद्‍यता: दिनांक .... से दिनांक .... तक
स्थान ....
तारीख ....

नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी

पत्रमुद्रा

शपथ

(देखिये नियम 15)

परिशिष्ट- ख

मैं,... आत्मज / आत्मजा / पत्नी..................................सत्यनिष्ठा से शपथ लेता / लेती हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं आस्था रखूंगा / रखूंगी और यह कि मैं होमगार्ड में अपने कतव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करूंगा / करूंगी तथा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जहाँ भी आदेश होगा मैं जाऊंगा / जाऊंगी तथा सक्षम अधिकारी के सभी विधि सम्मत आदेशों का पालन अपनी जान जोखिम में डालकर भी करने हेतु तत्पर रहूंगा / रहूंगी ।

हस्ता. शपथकर्ता नाम
नाम...........................
पद............................

दिनांक ....
स्थान ....

मेरे सामने विधिवत पुष्टि की गई ।

दिनांक......................

अभिप्रमाणन अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर
पदनाम.....................................

परिशिष्ट-ग

त्याग-पत्र
(देखिये नियम 16 (क))

मैं (नाम) ....क्रमांक.......................पद...................
.... मध्यप्रदेश होमगार्डस अधिनियम 1947 (1947 का पन्द्रहवां) की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन होमगार्ड के ....जिला रिजर्व में दिनांक .... को स्वयंसेवी के रूप में नामांकित किया गया था । मैं व्यक्तिगत् कारणों से, अपनी सेवाएं होमगार्ड संगठन में जारी नहीं रखना चाहता हूं और इस सूचना अर्थात् दिनांक .... (दिन/माह/वर्ष) से प्रभावी, से .... दिवस (30 दिवस से कम नहीं) के अवसान होने पर संगठन से सेवामुक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें ।

दिनांक:- ....

(होमगार्ड का नाम तथा हस्ताक्षर)
क्रमांक....................................
पद..
जिला ....

मध्यप्रदेश होमगार्ड स्वयंसेवी के जिलेवार स्वीकृत पद

(देखिए नियम 18 (1))

अनु क्र.	जिले का नाम	कंपनी की संख्या	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जबलपुर	4	665
2.	कटनी	1	165
3.	सिवनी	2	325
4.	छिंदवाडा	2	325
5.	बालाघाट	2	325
6.	नरसिंहपुर	2	325
7.	मंडला	1	175
8.	डिंडोरी	1	165
9.	भोपाल	5	815
10.	सीहोर	3	485
11.	रायसेन	2	325
12.	विदिशा	2	325
13.	बैतूल	2	325
14.	होशंगाबाद	2	325
15.	राजगढ़	2	325
16.	हरदा	1	165
17.	इंदौर	4	645
18.	धार	2	325
19.	झाबुँआ	1	160
20.	अलीराजपुर	1	165
21.	खंडवा	1	160
22.	बुरहानपुर	1	165
23.	खरगौन	1	165
24.	बडवानी	1	165
25.	उज्जैन	4	650
26.	देवास	2	325
27.	मंदसौर	1	165
28.	रतलाम	3	485
29.	नीमच	1	165
30.	शाजापुर - आगर	2	325
31.	ग्वालियर	4	645
32.	शिवपुरी	2	325
33.	गुना	2	320

34.	दतिया	2	325
35.	भिंड	2	325
36.	मुरैना	1	165
37.	श्योपुर	1	165
38.	अशोकनगर	1	165
39.	रीवा	3	485
40.	सतना	3	485
41.	सीधी	2	320
42.	सिंगरौली	1	165
43.	शहडोल	1	165
44.	उमरिया	1	165
45.	अनुपपुर	1	160
46.	सागर	3	485
47.	टीकमगढ़	2	325
48.	दमोह	2	325
49.	छतरपुर	2	325
50.	पन्ना	2	325
	योग	**97**	15800

सारांश

मध्यप्रदेश होमगार्ड की स्वीकृत कम्पनी	97
मध्यप्रदेश होमगार्ड की स्वीकृत बल	15800
मध्यप्रदेश होमगार्ड गोपनीय सैनिक	205
मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ. 19-12/2012/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 21-11-12 के द्वारा जिला बालाघाट के लिए 300 गोपनीयसैनिकों के पद स्वीकृत किए गए हैं		300
मध्यप्रदेश होमगार्ड कुल योग	16305

परिशिष्ट-ड

वर्दी सामग्री

(देखिए नियम 19(1))

अनु.क.	सामग्री का नाम	सामग्री की इकाई	सामग्री की जीवन अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किट बाक्स	1 नग	8 साल
2	शर्ट खाकी टेरीकॉट / कपडा	2 जोड़	1 साल
3	पेंट खाकी टेरीकॉट / कपडा	2 जोड़	1 साल
4.	शर्ट खाकी कॉटन	1 जोड़	2 साल
5.	पेंट खाकी कॉटन	1 जोड़	2 साल
6.	बूट एंकल काला	1 जोड़	2 साल
7.	कन्धा बैज	1नग	5 साल
8.	केप बैज	1नग	5 साल
9.	कैप बैरेट	1नग	1 साल
10.	व्हीसिल	1नग	5 साल
11.	लेनयार्ड	1नग	1 साल
12.	सेरिमोनियल	1नग	2 साल
13.	हॉफस शू काला	1 जोड़	1 साल
14.	पी.टी. शू	1 जोड़	4 माह
15.	शू ब्रश	1 नग	6 माह
16.	शू पालिश	2नग	3 माह
17.	हंटर शू	1 जोड़	9 माह
18.	मौजे खाकी	2 जोड़	4 माह
19.	मच्छरदानी	1नग	4 साल
20.	दरी	1नग	3 साल
21.	कम्बल	2 नग	5 साल
22.	हॉफ पेंट खाकी	1नग	2 साल
23.	वूलन जर्सी खाकी	1 नग	5 साल
24.	अंगोला शर्ट	1 नग	3 साल
25.	ग्रेट कोट	1 नग	5 साल
26.	बरसाती टोपी सहित	1 नग	3 साल
27.	केन	1 नग	5 साल
28.	टिफिन	1 नग	5 साल
29.	एंकलेट वेब	1 जोड़	3 साल
30.	लेदर बेल्ट	1 नग	6 साल
31.	रेंक बैज	**प्रचलित निर्देशों के अनुरूप**	
32.	कोट ब्लेजर	1 नग	3 साल

महिला होमगार्ड

अनु.क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री की इकाई	सामग्री की जीवन अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शर्ट खाकी टेरीकॉट/ कपड़ा	1 नग	
2.	पेंट खाकी टेरीकॉट	1 नग	
3.	सलवार सूट दुपट्टा	2 नग	
4.	साड़ी टेरीकॉट खाकी	1 नग	
5.	ब्लाउस टेरीकॉट खाकी	1 नग	
6.	पेटीकोट कॉटन खाकी	1 नग	
7.	डर्बी शू ब्राउन	1 नग	
8.	रैंक बैज	प्रचलित निर्देशों के अनुरूप	

परिशिष्ट-च

रैंक पब बैज

(नियम देखें 19 (2))

अनु.क्र.	पदनाम/बैंक	बैज.
1.	नामांकित स्वयंसेवी कम्पनी कमांडर	तीन सितारे (नीली, लाल पट्टी सहित)
2.	नामांकित स्वयंसेवी प्लाटून कमांडर	दो सितारे (नीली, लाल पट्टी सहित)
3.	नामांकित स्वयंसेवी सहायक प्लाटून कमांडर	एक सितारा (नीला, लाल पट्टी सहित)
4.	नामांकित स्वयंसेवी कंपनी हवालदार मेजर	दाहिनी कलाई पर चमड़े के पट्टे पर अशोक स्तम्भ
5.	नामांकित स्वयंसेवी कंपनी क्वार्टर मास्टर	दाहिनी भुजा पर तीन सफ़ेद फीत, फीत के ऊपर सेफद वर्गाकार चिन्ह सहित
6.	नामांकित स्वयंसेवी हवालदार	दाहिनी उपरी भुजा पर दो सफेद फीत
7.	नामांकित स्वयंसेवी नायक	दाहिनी उपरी भुजा पर दो सफेद फीत
8.	नामांकित स्वयंसेवी लांस नायक	दाहिनी उपरी भुजा पर एक सफेद फीत

परिशिष्ट-छ

सेवामुक्त प्रमाण-पत्र
(नियम- 27 (2) देखे)

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक..................पद............................नाम........................ ......आत्मज/आत्मजा/पत्नि..................................... को जिला रक्षित, जिला .... में दिनांक .... को नामांकित किया गया था । जिसे मध्यप्रदेश होमगार्ड एक्ट 1947 (1947 का पन्द्रहवा) के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 30 के खण्ड (दो) के अधीन, ... (आधार पर उल्लेख करें) के फलस्वरूप .... के अनुमोदन से सेवामुक्त किया जाता हे ।

1. चरित्र....................................
2. प्रशिक्षण की समयावधि...........................
3. सेवाओं का विवरण (यदि कोई हो).....................................
4. निवास शहर 7 ग्राम............................पोस्ट ऑफिस...........................
5. थाना..........................जिला................................पिन कोड.................

जिला सेनानी

....